

जी-20 बैठक के अवसर पर प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन द्वारा दिए गए सरकारी रात्रि भोज में प्रधानमंत्री की अभ्युक्ति

1 अप्रैल, 2009

सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री गार्डन ब्राउन और यू.के. सरकार द्वारा किए गए भव्य स्वागत और बैठक के विशेष प्रबंधों के लिए उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं इस ग्रुप की बैठक में राष्ट्रपति बराक ओबामा का भी उनकी पहली उपस्थिति पर स्वागत करना चाहूंगा।

विश्व की अर्थव्यवस्था जिन समस्याओं से जूझ रही है वह सर्वविदित है और उन्हें विस्तारपूर्वक बताने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान देने योग्य बात केवल यह है कि पिछले वर्ष जब नवंबर में वाशिंगटन डी.सी. में बैठक के दौरान चर्चा में मंदी के बारे में जो हमारी सोच थी उससे कहीं ज्यादा मंदी है और 2010 तक सुधार की संभावनाएं कम ही हैं। साठ वर्षों में यह सर्वाधिक बदतर मंदी है और इससे नकारात्मक उम्मीदें उत्पन्न हो रही हैं जिनमें यदि सुधार नहीं हुआ तो इस स्थिति में उत्तरोत्तर गिरावट आएगी। यह दुखद स्थिति औद्योगिक एवं विकासशील, दोनों वर्ग के देशों में ही महसूस की जा रही है।

विश्वव्यापी संकट के लिए विश्वव्यापी समाधान चाहिए। वाशिंगटन डी.सी. में हमने विश्व अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कार्य करने और भविष्य में इसी प्रकार के गंभीर संकटों की संभावना को कम करने के लिए वित्तीय क्षेत्र में प्रमुख सुधार लाने और ऐसी संस्थाएं बनाने के लिए शपथ ली थी जो ज्यादा प्रभावपूर्ण ढंग से हस्तक्षेप करें। हमने कई क्षेत्रों में काफी प्रगति की है लेकिन मैं मानता हूँ कि अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है।

पूरा विश्व हमसे यह आस लगाए हुए है कि हम संकट की स्थिति के अनुरूप सहयोगपूर्ण ढंग से कार्य कर सकते हैं जिस प्रकार हम तात्कालिक समस्याओं से निपटते हैं हमें इस बात की भी सावधानी रखनी चाहिए कि व्यापार की उदारता प्रत्यक्ष निवेश एवं आप्रवास के लाभों को न गँवाएं। यह जी-20 के नेतृत्व की परीक्षा होगी कि क्या हम ऐसी कार्यनीति तैयार कर सकते हैं जो इन समस्त उद्देश्यों को पूरा कर सके।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि औद्योगिक देशों में बैंकिंग प्रणाली को पूरी तरह से फिर से चालू करना वैश्विक अर्थव्यवस्था के सफलतापूर्वक पुनः प्रवर्तन की पूर्व शर्त है। यह संबंधित देशों की सरकारों के लिए प्रमुख कार्य है। यह वह कार्य है जिसमें अपूर्व

पैमाने पर संसाधनों की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी । अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यह अनुमान लगाया है कि आवश्यक अवैध परिसंपत्तियों (ट्रॉक्सिक असेट्स) का मूल्यहास अमेरिका में 2.8 करोड़ खरब (ट्रिलियन) डालर और यूरोप और जापान में 1.4 करोड़ खरब (ट्रिलियन) डालर था । कई सरकारों ने और हाल ही में अमेरिका ने काले धन आदि (टेंटेड असेट्स) की समस्या से निपटने और बैंकिंग प्रणाली से पुनः लाभ उठाने के लिए भी बड़ी मात्रा में संसाधनों की प्रतिबद्धता की है । इससे अधिक की भी जरूरत हो सकती है ।

इस स्तर पर बचाव के प्रयास से करदाताओं पर भारी बोझ पड़ेगा और इससे जनता में काफी आक्रोश उत्पन्न हुआ है जो बहुत ही स्वाभाविक है । परंतु करदाताओं को और उनके चुने हुए प्रतिनिधियों को यह स्पष्ट किया जाए कि वित्तीय संस्थाओं के प्रबंधन की ओर से गैर जिम्मेदाराना और यहां तक कि नैतिक रूप से निंदनीय व्यवहार पर आक्रोश इस प्रणाली को पुनः चालू करने के प्रयासों में आड़े नहीं आना चाहिए ।

मैं मानता हूँ कि मूलतः यह एक राजनैतिक समस्या है जिस पर प्रत्येक राष्ट्रीय सरकार को कार्रवाई करनी होगी । इस शिखर सम्मेलन में एक स्पष्ट संदेश देकर यह सहायता दी जा सकती है कि यह समस्या कई औद्योगिक देशों को प्रभावित कर रही है और यदि हम आर्थिक सुधार लाना चाहते हैं और बेरोजगारी से निपटना चाहते हैं तो हमें इससे निपटना होगा । हम इस बड़ी मंदी की स्थिति को पुनः उत्पन्न नहीं होने देना चाहते । इसका मुख्य कारण यह है कि सरकारें प्रति-चक्रीय नीतियों की भूमिका के बारे में काफी हद तक जानती हैं और वे कार्य करने की इच्छुक भी हैं । परंतु यदि ऋण वहां नहीं पहुँचते जहां वे पहुँचने चाहिए तो प्रति-चक्रीय नीतियों का विस्तृत प्रभाव नहीं होगा । हमें जनता को यह स्पष्ट करना होगा कि बैंकों को पुनः चालू करना बैंकों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है जैसा कि आमतौर पर जनता समझती है अपितु यह सामान्यतः अर्थव्यवस्था के लिए, रोजगार के लिए और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है ।

सक्रिय प्रति-चक्रीय नीति संबंधी मद को हमारे एजेंडा में प्राथमिकता दी जानी चाहिए और वैश्विक बाजार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि क्या हम इस मुद्दे पर संगठित हैं, हमने औद्योगिक देशों में उपभोक्ता मांग में व्यापक कमी देखी है जो घरेलू कीमतों और स्टॉक बाजार मूल्यों में कमी के कारण संपत्ति पर पड़ने वाले प्रभाव से उत्पन्न हुई है । यह भावी रोजगार संभावनाओं में अनिश्चितता के कारण और भी बढ़ी है । कई क्षेत्रों में अत्यधिक क्षमता के प्रादुर्भाव से निजी निवेश हतोत्साहित हुआ है । जिन देशों में चालू खाते से संबंधित घाटे बहुत अधिक थे वहां मांग में कुछ कमी की उम्मीद थी । वस्तुतः जिन देशों में इसकी अधिकता थी वहां विस्तार करके इसकी क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए थी । कारण चाहे कुछ भी रहा हो यह क्रमबद्ध समायोजन नहीं किया जा

सका । अब हम ऐसी कमी की स्थिति में पहुंच चुके हैं जो काफी बढ़ गई है और इसलिए सभी देशों में प्रति-चक्रीय प्रोत्साहन को बढ़ावा देना आवश्यक है ।

अधिकांश औद्योगिकृत देशों एवं विकासशील देशों ने भी मंदी का सामना करने के लिए निष्पक्ष एवं उत्साहपूर्ण ढंग से मुद्रा नीति का प्रयोग किया है । उन्होंने विभिन्न स्तरों पर राजकोषीय प्रोत्साहन का सहारा भी लिया है । मैं मानता हूँ कि राजकोषीय प्रोत्साहन का स्तर निर्धारित करना सरल नहीं है जो विभिन्न देशों के लिए विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त होता है । लेकिन हम यह भी जानते हैं कि विस्तार नीतियां समन्वित किए जाने पर अत्यधिक कारगर होती हैं । मुझे उम्मीद है कि शिखर सम्मेलन से एक स्पष्ट संकेत मिलेगा कि हम समन्वित तरीके से अथवा कम से कम एक विश्वसनीय संगठित तरीके से कार्य करने के इच्छुक हैं जिससे यह सुनिश्चित हो कि मंदी कम हो रही है ।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने आकलन किया था कि स्वचालित स्थिरक के प्रचालन के अतिरिक्त 2009 में विवेकानुसार लगभग 2 प्रतिशत जी डी पी राजकोषीय प्रोत्साहन की आवश्यकता होगी । 2009 में लगभग एक प्रतिशत की अपरिहार्य मंदी से 2010 में लगभग दो प्रतिशत संतुलित सकारात्मक वृद्धि के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 2010 में समान क्रम में प्रोत्साहन देना होगा ।

उपलब्ध जानकारी से यह संकेत मिलता है कि जबकि 2009 में जी-20 देशों का वास्तविक प्रोत्साहन लगभग कोष लक्ष्य के समान है, 2010 के लिए जो इस समय योजना में लक्ष्य रखा गया है वह बहुत कम होगा । कई प्रेक्षकों ने भी टिप्पणी की है कि 2010 में संतुलित वैश्विक सुधार आशा से अधिक हो सकता है । मैं मानता हूँ कि प्रणाली के कार्यान्वयन में समय लगेगा और पहले से किए गए कार्यों का प्रभाव केवल आने वाले समय में ही देखा जा सकता है लेकिन यह प्रतीत होता है कि बहुत अधिक करने के बजाय बहुत कम करने में जोखिम होता है और हम 2010 में सुधार सुनिश्चित करने के लिए जो कर रहे हैं, वह पर्याप्त नहीं है ।

यदि हम और अधिक करने पर सहमत नहीं हो सकते, तो हमें कम से कम एक स्पष्ट संदेश भेजना चाहिए कि हम 2009 में किए जा रहे विकास कार्यों पर सावधानीपूर्वक निगरानी रखेंगे और यथावश्यक और अधिक करने के लिए तीव्र गति से कार्य करेंगे । अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को इस क्षेत्र में विकास कार्यों का मॉनीटरन करने और समय-समय पर इसकी रिपोर्ट देने का कार्य सौंपा जाए ।

अब हम वापस उन उपायों की तरफ आते हैं जो विकासशील देशों में विकास में पुनः सुधार सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं । इन देशों ने दोहरा आघात झेला है । उन्होंने विश्व व्यापार में गिरावट देखी है जिसमें 2009 में व्यापार की मात्रा में लगभग 9

प्रतिशत की अभूतपूर्व कमी हुई है। उन्होंने 2009 में करीब 700 अरब डालर के निजी पूंजीगत प्रवाह की अत्यधिक कमी भी झेली है जिसका आकलन अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान ने किया था जिस में 2010 में पर्याप्त सुधार की संभावना बहुत कम है। कुछ सीमा तक औद्योगिक देशों में बैंकों की सहायता के लिए तैयार वित्तीय संरक्षणवाद से इस प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल सकता है यद्यपि निःसंदेह इसमें कई अन्य कारक भी हैं।

भाग्यवश भारतवासियों ने कई अन्य देशों की तुलना में विश्वव्यापी मंदी का मुकाबला बेहतर ढंग से किया है। हमारी वृद्धि दर वर्ष 2008-09 में 7 प्रतिशत से नीचे चली जाएगी जो पिछले 5 वर्षों में लगभग 9 प्रतिशत थी। अन्य देशों के समान हमने मुद्रा एवं राजकोषीय नीति दोनों का अत्यधिक प्रयोग किया है जिसमें कुल राजकोषीय प्रोत्साहन अथवा राजकोषीय घाटा वर्ष 2008-09 में जी डी पी के लगभग 4 प्रतिशत प्वाइंट के योजनाबद्ध स्तर से ऊपर रहा है। हम मुद्रा एवं राजकोषीय नीति पर निरंतर भरोसा रखते हुए वर्ष 2009-10 में समान वृद्धि दर प्राप्त करने की उम्मीद रखते हैं। हम राजकोषीय धारणीयता के महत्व को स्वीकार करते हैं और 2010 के बाद राजकोषीय रूप से धारणीय मार्ग की ओर लौटना हमारा दृढ़ निश्चय है। जो अतिरिक्त राजकोषीय प्रोत्साहन हमें प्राप्त हुआ है उससे हमारा सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) अनुपात ऋण कुछ प्रतिशत प्वाइंट से ज्यादा बढ़ेगा जो अन्यथा स्थिति में होता, लेकिन यह स्थिति हमारे बैंकों के वित्तीय संकट में होने की तुलना में अपेक्षाकृत संतुलित है। बैंकिंग प्रणाली के प्रभावी विनियमन से हमने अस्थायी राजकोषीय विस्तार से पड़ने वाले किसी भी अतिरिक्त दबाव से कहीं ज्यादा लाभ अर्जित किया है। इसके अतिरिक्त चूंकि अधिकांश राजकोषीय प्रोत्साहन अवसंरचना में बढ़े हुए निवेश के लिए होगा इससे मध्यावधि में वृद्धि होगी और ऋण अनुपात स्वतः ही कम करने में सहायक होगा।

देश में ऐसे परिवेश में विस्तार नीति से सामान्यतया भुगतान संतुलन पर दबाव बढ़ेगा जहां निर्यात बहुत कम हो गए हों और निजी पूंजीगत प्रवाह समाप्त हो गए हों। हमारी स्थिति में तेल कीमतों में गिरावट से इसकी आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति हुई है, परंतु तब भी भारत के चालू खाते में घाटा 2009-10 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 1.4 प्रतिशत होने की संभावना है। हमें बिना किसी कठिनाई के इसके लिए वित्त व्यवस्था हो जाने की उम्मीद है और किसी भी स्थिति में हमारी विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियों की मजबूत स्थिति हमारे सामने आई पूंजीगत प्रवाह की किसी भी कमी को पूरा कर सकती है।

हालांकि भारत इस स्थिति पर काबू पा लेगा किन्तु कई अन्य विकासशील देश इस स्थिति में नहीं होंगे और इस स्थिति में केवल अंतरराष्ट्रीय समुदाय ही सहायता कर सकता है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निजी पूंजी की अत्यधिक निकासी से आहत देश अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से अधिक संसाधन उपलब्ध कराने पर भरोसा

कर सकते हैं जिसके 2010 में पलटने की संभावना नहीं है। इससे इन देशों को मांग के उस उच्चतर स्तर को बनाए रखने में सहायता मिलेगी जो अन्यथा संभव होती और इस प्रकार वैश्विक पुनरुत्थान में सहायता मिलेगी।

ऐसे कई उपाय हैं जो हम कर सकते हैं जिनसे हमारी सहायता करने की तत्परता का पता लगेगा।

हमें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से पर्याप्त रूप से उपलब्ध संसाधनों को अगले दो वर्षों तक लगभग 500 अरब डालर तक बढ़ाने के लिए अपने संकल्प की घोषणा करनी चाहिए। यह कार्य प्रारंभिक तौर पर द्विपक्षी प्रबंधों, एन ए बी का विस्तार और कोष से अन्य उधार लेकर किया जा सकता है। परंतु हमें यह भी संकेत देना चाहिए कि ये कोष के कोटे में वृद्धि किए जाने तक अंतरिम उपाय हैं। सामान्यतः वर्ष 2013 में की जाने वाली कोटे की अगली समीक्षा यथासंभव आगे बढ़ाई जानी चाहिए और हमारा लक्ष्य बहुत ही न्यूनतम पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के कोटे को दुगुना करना होना चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से संसाधनों को बढ़ाने के अतिरिक्त हमें यह भी संकेत देना चाहिए कि कोष संसाधनों के प्रयोग से जुड़ी स्थितियां अधिक उपयुक्त एवं लचीली बना दी गई हैं। जब तक यह नहीं किया जाता, देश विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियों का निर्माण करना पसंद करेंगे जो वर्तमान परिस्थितियों में प्रति-उत्पादक होगा।

हमें लगभग 250 अरब डालर के नए एस डी आर आबंटन पर भी सहमत होना चाहिए। इससे विकासशील देशों को उस समय प्रयोज्य संसाधनों के लगभग 80 अरब डालर मिलेंगे जब नकदी अत्यधिक दुर्लभ होगी।

हम कोष की रियायती सुविधाओं के माध्यम से निम्न आय वाले देशों को रियायती उधार देने का समर्थन करने के लिए कोष के स्वर्ण के एक हिस्से के विक्रय का समर्थन करते हैं।

बहुपक्षीय विकास बैंक अगले दो वर्षों तक विकासशील देशों को संसाधन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तात्कालिक उपाय के रूप में, हमें एशियाई विकास बैंक की पूंजी में 200 प्रतिशत वृद्धि का समर्थन करना चाहिए जिसे मई में इसके शासक मंडल (गर्वनर बोर्ड) द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है।

विश्व बैंक को भी अगले दो से तीन वर्षों में अपनी ऋण प्रदान करने की प्रणाली का इस तरीके से विस्तार करना चाहिए जो निजी पूंजी की निकासी से आए अंतराल को भरने में सहायक हो सके। अपने ऋण को अवसंरचनात्मक विकास एवं बैंकों के पुनः पूंजीकरण में लगाने से प्रति चक्रीय नीति को इस तरह से सहायता प्राप्त होगी कि

इन अर्थव्यवस्थाओं के विकास को पुनः प्रारंभ किया जा सके । यह कार्य करने के लिए बैंक की वर्तमान एकल उधारकर्ता की सीमाओं की शीघ्र समीक्षा करनी होगी । ऋण तथा पूंजीगत अनुपात को भी और अधिक उदार बनाना होगा ।

हमें व्यापार-वित्त में सुधार लाने के लिए भी ठोस उपाय करने होंगे मुझे कहते हुए खेद हो रहा है कि यह वित्तीय संरक्षणवाद के कारण आंशिक रूप से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं । निर्यात ऋण एजेसियां अपनी ऋण प्रदान करने की क्षमता का विस्तार कर सकती हैं । व्यापार वित्त का समर्थन करने के लिए आई एफ सी पूल का पर्याप्त विस्तार किया जा सकता है जिसमें उन देशों से द्विपक्षीय सहायता प्राप्त होगी जो योगदान करने की स्थिति में हैं ।

औद्योगीकृत विश्व में संरक्षणवादी विचार का उद्भव विकासशील देशों के लिए बड़ी चिंता का विषय है । आर्थिक क्रियाकलाप में मंदी और बढ़ती हुई बेरोजगारी को देखते हुए यह स्थिति चौंकाने वाली नहीं है । परंतु यह नेतृत्व की परख होगी कि क्या हम जन सामान्य को यह समझा सकते हैं कि हमें पिछली गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए । हम जानते हैं कि अत्यधिक मंदी इतनी गहन और लम्बे समय के लिए थी कि देशों ने संरक्षणवाद का सहारा लिया जिसने प्रतिकारात्मक संरक्षणवादी प्रतिक्रियाओं को प्रेरित किया जिससे उत्तरोत्तर गिरावट की स्थिति बनी ।

विकासशील देशों के नेताओं ने हमारी जनता के संदेहों एवं भय को दूर करने, उनको वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत होने के गुण-दोषों के बारे में समझाने के लिए संघर्ष किया है । मुझे विश्वास है कि हमें इस प्रयास में काफी सफलता मिली है और उदार अर्थव्यवस्था से विकासशील एवं औद्योगीकृत देशों, दोनों में व्यापक क्षेत्र में संपन्नता आई है । यदि औद्योगिक देश के बाजार इस कठिन समय में उदार नहीं रहते तो बहुत मुश्किल से हासिल किए गए लाभ समाप्त हो जाएंगे । मैं इस बात पर जोर दूंगा कि यह ऐसा क्षेत्र है जहां औद्योगीकृत देश ही इसकी अगुआई करें । मुझे उम्मीद है शिखर सम्मेलन की विज्ञप्ति में हमारे बाजारों को खोलने के लिए हमारे इरादों की दृढ़ प्रतिबद्धता व्यक्त होगी ।

अब मैं उन मुद्दों पर आता हूँ जो वैश्विक वित्तीय व्यवस्था के दीर्घावधि सुधार के बारे में हैं । जो संकट हमने झेला है उसने बैंकों की कार्यप्रणाली और वित्तीय व्यवस्था के अन्य भागों में कुछ मूलभूत कमियों की ओर ध्यान दिलाया है जिससे खतरनाक जोखिम पैदा हुए हैं । यह स्थिति दर्शाती है कि आंतरिक जोखिम प्रबंधन तकनीकों का प्रयोग करके बाजार प्रवर्तित अनुशासन एवं निष्पक्ष प्रबंधन से संयोजित वित्तीय व्यवस्था के सरल विनियमन पर भरोसा करना काफी नहीं है। यदि हम इस संकट के पुनः आगमन से बचना चाहते हैं तो हमें सुदृढ़ विनियमन एवं सुधरे हुए पर्यवेक्षण की ओर

अग्रसर होना होगा । इस क्षेत्र में सुधार के व्यापक निदेश तैयार करने के लिए गठित कार्य समूहों द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया गया है । हमें इस कार्य से उठी सिफ़ारिशों का समर्थन करना चाहिए और ऐसे विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के लिए हाल ही में विस्तारित वित्तीय स्थिरता फोरम एवं विस्तारित बेसल कमिटी ओन बैंकिंग सुपरविजन को सौंपा जाना चाहिए जिससे कि हमारे राष्ट्रीय विनियमन नए विश्वव्यापी मानदंडों के साथ हस्तातरित किए जा सकें । मेरे विचार में हम सभी गैर-बैंकिंग क्षेत्रों को सम्मिलित करने के लिए विनियमन के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने, प्रति-चक्रीयता से बचने के लिए पूंजीगत आवश्यकताओं को पुनः निर्धारित करने, अत्यधिक प्रभाव डालने की प्रवृत्ति को रोकने और पर्यवेक्षक समूह द्वारा पर्यवेक्षण के लिए महत्वपूर्ण संस्थाओं के अधीन क्रमबद्ध रूप से रखने की आवश्यकता पर सहमत हैं । हमें सूचना का आदान-प्रदान का समर्थन भी करना चाहिए और टैक्स हेवंस और असहयोगी क्षेत्राधिकारों को गहन संवीक्षा के अंतर्गत लाना चाहिए ।

हमारे देश में विनियमन में सुधार करने के अलावा हमें पहले से ही एक कारगर चेतावनी तंत्र तैयार करना होगा जो उन जोखिमों को बढ़ने से रोक सके जिनसे विश्वव्यापी वित्तीय स्थिरता को खतरा हो । यह कार्य विस्तारित एफ एस एफ के परामर्श से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को सौंपा जाना चाहिए । इस कार्य को निपटाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष लॉजिकल संस्था है लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगा कि निष्पक्ष निगरानी करने की इसकी क्षमता को अत्यधिक सुदृढ़ करना होगा यदि कार्य को सुचारु रूप से करना है । आखिरकार यह शासन एवं संस्था की जवाबदेही से जुड़ा है ।

जबसे बहुपक्षीय संस्थाएं स्थापित हुई हैं, विश्व में काफी परिवर्तन आ गया है और इन संस्थाओं के कार्य को पुनः निर्धारित करना होगा और उनके अधिदेश में उपयुक्त संशोधन करने होंगे । इन संस्थाओं के निर्णय लेने के स्तरों में विकासशील एवं उभरते बाजार वाले देशों के प्रतिनिधित्व में भी सुधार करना होगा । यदि संस्थाएं वैधता प्राप्त हैं तो बेहतर प्रतिनिधित्व होना अनिवार्य है क्योंकि संस्थाओं को तेजी से एकीकृत हो रही ऐसी दुनिया में अपना कार्य करना है जिसमें एक देश के कार्यकलापों का अन्य देशों पर प्रभाव पड़ता हो ।

ये संस्थागत सुधार के दीर्घकालिक मुद्दे हैं जिनका एक बार संकट प्रबंधन की तात्कालिक प्राथमिकताओं का निपटान हो जाने पर हमें समाधान करना होगा ।
